न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/211

01. सन्तनाथ पुत्र झंवरनाथ जाति नाथ निवासी जेलवेल तहसील व जिला बीकानेर
02. कमलादेवी पुत्री झंवरनाथ जाति जेलवेल तहसील व जिला बीकानेर
03. गुड्डीदेवी पुत्री झंवरनाथ जाति जेलवेल तहसील व जिला बीकानेर

......प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :—16.12.25

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण की माता रामेश्वरी पत्नी झंवरनाथ जाति नाथ निवासी जेलेवल बीकानेर के नाम दिनांक 23.12.95 को विशेष आवंटन में चक 30 केजेडी मु0नं0 187/8 तादादी 25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई थी उक्त आवंटन पट्टे में भी उक्त नाम व निवास स्थान अंकित है। चक 30 केजेडी के वर्तमान में नया चक 1 बीडब्ल्युएसएम ए मु0नं0 187/8 तादादी 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि अंकित है। राजस्व कर्मचारियों को उक्त आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड के नाम व निवास स्थान सही अंकित किये जाने चाहिए थे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व गलती की वजह से प्रार्थीगण के पिता का नाम झंवर नाथ के स्थान पर भंवरनाथ अंकित कर दिया गया है व निवासी स्थान जेलवेल बीकानेर के स्थान पर जेल रोड़, बीकानेर अंकित कर दिया गया है जो राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही है। चक 1 बीडब्ल्युएसएम ए मु0नं0 187/8 तादादी 6.3225 है0 कृषि भूमि में प्रार्थीगण की माता रामेश्वरी पत्नी भंवरनाथ की जगह राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वरी पत्नी झंवरनाथ व निवास स्थान जेल रोड़ बीकानेर की जगह जेलवेल बीकानेर दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबन्दी, आवंटन आदेश, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, नामान्तरण, आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 1 बीडब्ल्युएसएम ए मु0नं0 187/8 तादादी 6.3225 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की माता रामेश्वरी पत्नी भंवरनाथ की जगह राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वरी पत्नी झंवरनाथ तथा निवास स्थान जेलरोड़ बीकानेर की जगह जेलवेल बीकानेर संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)